प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023 प्र0सू0रि0 सं. 248/23 दिनांक 16/9/2023

2. (I) अधिनियम ... .धारा– 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018)
   (II) अधिनियम .... धारायें .....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 325 समय 2:30 pm
   (ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– शुक्रवार, 15.09.2023 समय 02.13 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 13.09.2023 समय 2.15 पीएम

4. सूचना की किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :–श्री श्याम रेस्टोरेन्ट एवं मिष्ठान भण्डार, गंगापुर रोड, लालसोट
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– करीब 42 कि0मी0 लगभग, दक्षिण पश्चिम कोण में
   (ब)पता – गंगापुर रोड, लालसोट, जिला दौसा
   बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री सीताराम सैनी
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री रामजीलाल सैनी
   (स) जन्म तिथी/वर्ष .....करीब 29 वर्ष..
   (द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय– दुकानदार
   (ल) पता– निवासी ग्राम टोडा ठेकलां, तह. लालसोट, जिला दौसा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
   लोकेश जांगिड पुत्र श्री रामजीलाल जांगिड, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम गोल्या, तह. लालसोट, जिला दौसा हाल टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन), कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लालसोट जिला दौसा

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– रिश्वती राशि 5000/–रूपये

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .....रिश्वती राशि 5000/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री सीताराम सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सैनी, निवासी टोडाठेकलां, तह. लालसोट, जिला दौसा ने कार्यालय में उपस्थित होकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो दौसा को एक लिखित रिपोर्ट पेश की। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का श्रीमान् द्वारा अवलोकन कर मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाकर परिवादी की लिखित रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सीताराम सैनी को हमराह लेकर अपने कक्ष में आया एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, तो लिखित रिपोर्ट इस आशय की पाई गई कि " मैं सीताराम सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सैनी, जाति माली, निवासी ग्राम टोडाठेकलां, तह. लालसोट, जिला दौसा का रहने वाला हूं हमारा घरेलू बिजली कनेक्शन की डीपी मेरे चाचा के खेत में लगी हुई थी, जिसको मैं हमारे खेत में लगाने के लिये लाईनमैन लोकेश जांगिड़, जी.एस.एस.

शाहपुरा, तह. लालसोट से मिला तो लाईनमैन ने कहा कि ठीक है मैं डीपी को तुम्हारे चाचा के खेत से हटाकर आपके खेत में लगा दूंगा लेकिन इस काम के मैं 13000 रूपये लूंगा इस पर मैंने कुछ नहीं कहा और करीब 4–5 दिन बाद लाईनमैन ने वह डीपी हटाकर हमारे खेत में लगवा दी अब वह इस काम के 13000 रूपये बार बार मांग कर रहा है जो मैं नहीं देना चाहता हूं लाईनमैन से मेरी कोई रंजिश नहीं है ना ही हमारा कोई उधार लेन देन बाकी है कार्यवाही करे। " परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होना एवं उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाये जाने पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर जरिये फर्द कानि. श्री लोकेश कुमार नं. 155 को सुपुर्द कर परिवादी के साथ मांग सत्यापन हेतु गंगापुर रोड, लालसोट पर स्थित दुकान श्याम रेस्टोरेन्ट के लिए समय 2.50 पी.एम. पर रवाना किया। तत्पश्चात् समय 8.00 पी.एम. पर श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155 बाद गोपनीय मांग सत्यापन संदिग्ध आरोपी श्री लोकेश जांगिड, जी.एस.एस. शाहपुरा, तह. लालसोट, जिला दौसा के उपस्थित कार्यालय आया, जिसने मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द शुदा विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर पेश कर बताया कि मैं और परिवादी श्री सीताराम सैनी कार्यालय से रवाना होकर गंगापुर रोड, लालसोट पर स्थित परिवादी की दुकान श्री श्याम रेस्टोरेन्ट पहुंचा। जहां मैंने परिवादी श्री सीताराम सैनी को वॉईस रिकॉर्डर चालू करके दे दिया और इसके कुछ देर बाद ही श्री लोकेश जांगिड, लाईनमैन परिवादी की उक्त दुकान श्री श्याम रेस्टोरेन्ट पर उपस्थित आया, जिसने परिवादी से कुछ देर तक वार्ता की और कुछ पैसों का लेन–देन किया फिर वह वापस चला गया। आरोपी के जाने के बाद परिवादी से उक्त वॉईस रिकॉर्डर मेरे द्वारा प्राप्त किया जाकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया गया। परिवादी ने बताया कि ये व्यक्ति ही श्री लोकेश जांगिड, लाईनमैन था, जिसने अभी मेरे से मेरी डीपी को मेरे चाचा के खेत से मेरे खेत पर स्थानान्तरित करने के काम की ऐवज में 11000 रूपये की मांग कर और अभी 6000 रूपये मेरे से लेकर गया है तथा बाकी के 5000 रूपये कल 11 बजे देने के लिये कहकर गया है। मैंने श्री लोकेश जांगिड लाईनमैन से हुई सभी बातों को आपके द्वारा दिये गये डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। इसके बाद परिवादी श्री सीताराम सैनी ने उसके घर पर जरूरी कार्य होने के कारण एसीबी कार्यालय दौसा चलने में असमर्थता जाहिर की, जिस पर मेरे द्वारा आपको जरिये मोबाईल सूचित किया गया, जिस पर परिवादी के द्वारा आपको उक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए यह कहा था कि साहब मुझे आज और कल घर पर जरूरी काम है। मैं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15.09.2023 को आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर आपके द्वारा परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000 रूपये अपने साथ लेकर दिनांक 15.09.2023 को समय 09.30 एएम पर कार्यालय में आने की मुनासिब हिदायत दी जाने पर मैं आपके आदेशानुसार परिवादी को उसकी दुकान पर ही छोडकर उपस्थित कार्यालय आया हूं। इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को चालू कर सूना तो उसमें आई वार्ता में संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से डीपी को स्थानान्तरित करने की ऐवज में 11000 रूपये रिश्वती राशि की मांग कर 6000 रूपये ग्रहण कर बाकी पैसों की मांग कर कल 11 बजे देने के लिये कहना स्पष्ट रूप से पाया गया तथा कानि. लोकेश कुमार को परिवादी द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि होना पाया गया। विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को वापस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 15.09.2023 को पाबन्द शुदा परिवादी श्री सीताराम सैनी समय करीब 9.30 एएम. पर कार्यालय में उपस्थित आया जिससे संदिग्ध आरोपी श्री लोकेश जांगिड को दी जाने वाली राशि 5000/–रूपये बाबत पूछा तो परिवादी ने अपने पास होना बताया। परिवादी को कार्यालय में ही बैठाया गया। इसके बाद पूर्व के पाबन्दशुदा गवाहान को जरिये दूरभाष तलब कर शीघ्र ही कार्यालय में उपस्थित होने बाबत निर्देश दिये गये तो पाबन्दशुदा दोनों गवाहान श्री राकेश कुमार मीना, सहायक प्रोग्रामर व श्री मुकेश कुमार, सूचना सहायक, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दौसा कार्यालय में

उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान का परिवादी श्री सीताराम सैनी से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 13.09.2023 को पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद दोनों गवाहान के सामने परिवादी श्री सीताराम सैनी को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5000/–रू0 निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अकिंत कर नोटो पर श्री राकेश कुमार, कानि. नं. 70 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 5000/–रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री राकेश कुमार, कानि. नं. 70 से अच्छी तरह से फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सीताराम सैनी की जामा तलाशी गवाह श्री राकेश कुमार मीना से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थेलीन पाउडर युक्त 5000/–रू. के नोट श्री राकेश कुमार, कानि. नं. 70 से परिवादी के पहने हुए लोवर की बगल की दाहिनी जेब में रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को जब तक नहीं छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात् दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी के आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात् एक डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री राकेश कुमार, कानि. नं. 70 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात् पाउडर लगाने वाले श्री राकेश कुमार, कानि. नं. 70 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया गया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शीशीयां, ढक्कन, चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपी एवं उसके मध्य रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। तत्पश्चात् 12.05 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री सीताराम सैनी व स्टाफ सदस्य सर्व श्री मुनेश कुमार, उप निरीक्षक पुलिस, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155, श्री प्रेमप्रकाश कानि. नं. 382 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही श्री श्याम रेस्टोरेन्ट, गंगापुर रोड, लालसोट के लिए रवाना होकर समय करीब 1.20 पी.एम. पर श्री श्याम रेस्टोरेन्ट, गंगापुर रोड, लालसोट के नजदीक

पहुंचा, जहां पर वाहनों को रोड पर एक साईड में खडा करवाकर संदिग्ध आरोपी की लोकेशन जानने के लिये परिवादी श्री सीताराम सैनी के मोबाईल नंबर 9664381644 से श्री लोकेश जांगिड, लाईनमैन के मोबाईल नंबर 7976032708 पर वार्ता करवाई तो पहले तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और फिर आरोपी के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर कॉल आने पर आरोपी ने परिवादी की दुकान श्री श्याम रेस्टोरेन्ट पर आधे घण्टे बाद आने के लिये कहने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने की मुनासिब हिदायत कर श्री श्याम रेस्टोरेन्ट, गंगापुर रोड, लालसोट के लिये रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी के श्री श्याम रेस्टोरेन्ट के नजदीक ही रोड पर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात् समय करीब 2.13 पी.एम. पर परिवादी गंगापुर रोड, लालसोट पर स्थित परिवादी की दुकान श्री श्याम रेस्टोरेन्ट के बाहर मुख्य सडक पर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि साहब मैं अभी–अभी आपके निर्देशानुसार आरोपी के बताये अनुसार अपनी श्री श्याम रेस्टोरेन्ट पर मौजूद था, तो मेरी उक्त दुकान पर श्री लोकेश जांगिड, लाईनमैन आये तब मैंने इनको चाय के लिये पूछा तो ये दुकान पर ही बैठ गये, फिर मैंने कहा कि मेरे पास पहले पैसे नहीं थे, आज हो गये है। इसके बाद इन्होने मेरे से तयशुदा पैसे ईशारे में मांगे। तब मैंने कहा ले लो, तो इन्होने कहा कि कितने है, उस पर मैंने कहा गिनलो, फिर उसने कहा कि तू ही बता कितने है, फिर मैंने इनको पैसे दे दिये तो इन्होने अपने बांये हाथ से पैसे लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रख कर चाय पीने लग गये और इसके बाद मैंने उक्त दुकान से बाहर मुख्य सडक पर आकर आपको निर्धारित ईशारा कर दिया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी को साथ लेकर उक्त परिवादी के रेस्टोरेन्ट के अन्दर गये तो परिवादी ने उक्त रेस्टोरेन्ट में कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि साहब ये ही लोकेश जांगिड, लाईनमैन है और इन्होने करीब 10 दिन पहले सिंगल फेस बिजली कनेक्शन की डीपी मेरे चाचा के खेत से हटाकर मेरे खेत में लगाई थी, उसकी ऐवज में इनके द्वारा मेरे से करीब 10 दिन पहले 2000 रूपये ले लिये थे और इसके बाद दिनांक 13.09.2023 को इसकी ऐवज में 11000 रूपये की मांग कर 6000 रूपये उसी दिन मेरे से ले लिये थे और शेष 5000 रूपये आज अभी–अभी लिये है। इसके बाद परिवादी से कहा गया कि आपका काम तो हो गया था, फिर आपने इनको पैसे क्यों दिये तो परिवादी ने बताया कि अगर मैं इनको मेरे किये गये डीपी के कार्य के बदले इनके मांगे अनुसार तयशुदा राशि नहीं देता तो ये मेरी लगाई गई डीपी को वापस वहीं चाचा के खेत में शिफ्ट कर देता। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना, गवाहान व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लोकेश जांगिड पुत्र श्री रामजीलाल जांगिड, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम गोल्या, तह. लालसोट, जिला दौसा हाल टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन), कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लालसोट, जिला दौसा होना बताया। इसके बाद आरोपी लोकेश जांगिड से गवाहान के रूबरू परिवादी श्री सीताराम सैनी से ली गई 5000 रूपये रिश्वती राशि बाबत पूछा गया तो उसने बताया कि श्री सीताराम सैनी मेरा मिलने वाला है और इसने मुझसे 11000 रूपये 2 महीने पहले उधार लिये थे, वो पैसे वापस किये है। इसके बाद आरोपी से पूछा गया कि ये पैसे किसके सामने उधार लिये थे, तो वो कुछ नहीं बोला और किसी का नाम नहीं बताया। इसके बाद आरोपी से पूछा गया कि जब 11000 रूपये उधार लिये थे तो आज 5000 रूपये क्यों लिये है, 11000 रूपये क्यों नहीं लिये और बाकी के रूपयों का क्या हुआ, तो उसने कहा कि बाकी के रूपये मेरे को ये फिर दे देता। इस पर मौजूद परिवादी श्री सीताराम सैनी ने बताया कि साहब ये लोकेश जांगिड लाईनमैन झूठ बोल रहा है, हकीकत जो मैंने ऊपर बताई है, वो है कि इन्होने मेरे से उक्त राशि लगाई गई डीपी के बदले में रिश्वत की ली गई है। इसके बाद आरोपी लोकेश जांगिड से पूछा गया कि आपने श्री सीताराम सैनी को उधार दिये गये पैसे वापस लेना बताया है और परिवादी सीताराम सैनी ने आपकी बात को झूठ होना बताया है और आप भी कह रहे है कि मेरी परिवादी सीताराम सैनी से और परिवादी श्री सीताराम सैनी कह रहा है कि मेरी आरोपी लोकेश जांगिड लाईनमैन से कोई रंजिश/दुश्मनी नहीं है, तो आप बताओ कि ऐसी स्थिति में आपकी बात को कैसे सही माना जाये, तो आरोपी कुछ नहीं बोला और नीची गर्दन करके चुपचाप बैठ गया। इसके बाद उक्त रेस्टोरेन्ट/मौके पर भीड–भाड होने की वजह से आरोपी का दाहिना

हाथ श्री लोकेश कुमार नं. 155 व बांया हाथ श्री मुनेश कुमार, उप निरीक्षक से कलाई के ऊपर से अलग–अलग पकडवाये गये और हाथ पकडे–पकडे आरोपी को वाहन में बैठाया जाकर सभी हमराहीयान के साथ मौके से रवाना होकर पुलिस थाना लालसोट आये। पुलिस थाना लालसोट में मौजूद पुलिसकर्मियों को कार्यवाही से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाने की स्वीकृति ली जाकर आरोपी को एच.एम. कक्ष में बैठाया गया। इसके बाद पुलिस थाना लालसोट में रखी पानी की मटकी में से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ डिस्पोजल पारदर्शी गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के उक्त घोल में आरोपी लोकेश जांगिड, टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन) के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियों/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गदमैला तथा बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगुठे के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर गदमैला व मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो–दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके पश्चात् लोकेश जांगिड, टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन) की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब की जामा तलाशी गवाह श्री राकेश कुमार से लिवाई गई तो लोकेश जांगिड, टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन) की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में कुछ रूपये होना बताया जिनको गवाह से बाहर निकलवाकर दोनों गवाहान से गिनने व कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो गवाह श्री राकेश कुमार ने आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब से कुछ रूपये निकालकर 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5000/–रूपये होना व दोनों गवाहान ने नोटों के नंबरों का फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर दोनों के नम्बर एक समान होना बताया। तत्पश्चात् बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी को मार्केट से टी–शर्ट मंगवाकर आरोपी लोकेश जांगिड, टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन) के बदन पर पहनी हुई शर्ट बरंग सफेद छींटदार डिजाईन वाली जिसकी सामने की बायीं जेब में रिश्वत राशि 5000/–रूपये प्राप्त कर रखी गई थी एवं जो उक्त जेब से बरामद हुई है, को आरोपी के बदन से शालीनता पूर्वक उतरवाया जाकर मंगवाई गई टी–शर्ट को पहनाया गया। तत्पश्चात् एक अन्य साफ डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में पूर्व की भॉति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर उक्त शर्ट की सामने की बांयी जेब, जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, उक्त जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया जाकर धोवन लिया गया तो, धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के गिलास के धोवन को दो अन्य साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क S-1 व S-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई तथा उक्त शर्ट बरंग सफेद छींटदार डिजाईन वाली जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, को सुखाकर उसकी जेब पर लाल पैन का गोला कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शर्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "S" अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी से प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी व श्री लोकेश जांगिड, टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन) के मध्य रिश्वत लेन–देन की वार्ता टेप होना पाई गई, जिसकी अलग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती एस.डी. कार्ड/पेन ड्राईव/डीवीडी तैयार की जावेगी। आरोपी से परिवादी के डीपी स्थानान्तरण करने के संबंध में कोई दस्तावेज/प्रार्थना पत्र या कोई पत्रावली के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि इस संबंध में कोई पत्रावली या कागजात मेरे पास नहीं है और ना ही हमारे कार्यालय में कोई पत्रावली इस संबंध में लंबित है। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एंव हाथ धुलाई पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद घटनास्थल का नक्शा मौका जरिये फर्द कशीद कर शामिल पत्रावली किया गया तथा परिवादी की डीपी जो कि आरोपी लोकेश जांगिड टैक्नीशियम–द्वितीय, (लाईनमैन) द्वारा परिवादी के बताये अनुसार अनाधिकृत रूप से लगाई गई थी तथा जिसकी ऐवज में रिश्वत की मांग कर प्राप्त की गई थी, की फोटोग्राफी जरिये फर्द कशीद जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात् समय करीब 06.00 पी.एम. पर फर्द प्राप्ति

नमूना आवाज आरोपी तैयार की गई। तत्पश्चात् दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री सीताराम सैनी के समक्ष परिवादी श्री सीताराम सैनी व आरोपी श्री लोकेश जांगिड, टैक्नीशियन–द्वितीय के मध्य दिनांक 13.09.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं दिनांक 15.09.2023 को रिश्वत राशि लेन–देन के समय हुई वार्ताओं के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को जो ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी से प्राप्त कर चालूकर सुना जाकर वापिस बन्द कर अपने कब्जे में रखा गया था, को अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा उक्त में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द समक्ष आई वार्ता की ट्रान्सकिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री लोकेश जांगिड टैक्नीशिन–द्वितीय की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री सीताराम सैनी द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वार्ता की डीवीडी बनाने हेतु चार खाली डीवीडी ट्रेप बाक्स से ली जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे एसडी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से चार डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर डीवीडियों पर मार्क– A-1, A-2, A-3 व A-4 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री सीताराम सैनी के हस्ताक्षर करवाकर तीन डीवीडी मार्क A-1, A-2 व A-3 को अलग–अलग प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर डीवीडी मार्क A-1, A-2 व A-3 को अलग–अलग सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर भी मार्क A-1, A-2 व A-3 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा डीवीडी मार्क A–4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही में संबंधित माइक्रो एसडी कार्ड को उसी एसडी कार्ड के पैकेट में रखकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर कपडे की थैली को मार्क "SD" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर कर कब्जा एसीबी लिया गया। रिकॉर्ड शुदा वार्ता की ट्रान्सकिप्ट व जब्ती सीडी मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से श्री प्रेम प्रकाश कानि0 382 से तैयार करवाई गई, जिसकी फर्द ट्रान्सकिप्ट एवं जब्ती मूल एस.डी.कार्ड/डीवीडी रिश्वत राशि मांग सत्यापन व रिश्वती राशि लेन–देन पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद आरोपी के सहकर्मी को रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन–देन के समय परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ताओं की आई.ओ. डी.वी.डी. को चालूकर सुनाया जाकर आरोपी की आवाज की फर्द पहचान आवाज तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री लोकेश जांगिड टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन), कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लालसोट, जिला दौसा को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में ली गई नमूना ब्राशसील नम्बर–41 को तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी व स्टाफ सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी लोकेश जांगिड टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन), कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लालसोट, जिला दौसा, जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशि लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना लालसोट, जिला दौसा से रवाना होकर एसीबी कार्यालय दौसा पहुँचा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा शीशीयॉ व जब्त शुदा रिश्वती राशि नम्बरी 5000/–रूपये को जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को रवाना किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री लोकेश जांगिड पुत्र श्री रामजीलाल जांगिड, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम गोल्या, तह. लालसोट, जिला दौसा हाल टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन), कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लालसोट, जिला दौसा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री सीताराम सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सैनी, निवासी टोडाठेकलां, तह. लालसोट, जिला दौसा से उसके घरेलू बिजली कनेक्शन की डी.पी. जो कि उसके चाचा के खेत में

लगी हुई थी, को हटाकर उसके खेत में लगाने की ऐवज में मांग सत्यापन दिनांक 13.09.2023 को 11000 रूपये की मांग कर 6000 रूपये वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के समय तथा शेष राशि 5000 रूपये आज दिनांक 15.09.2023 को वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी की दुकान श्री श्याम रेस्टोरेन्ट, गंगापुर रोड, लालसोट पर परिवादी से मांग कर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखना एवं उक्त रिश्वती राशि आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब से बरामद होना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री लोकेश जांगिड पुत्र श्री रामजीलाल जांगिड, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम गोल्या, तह. लालसोट, जिला दौसा हाल टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन), कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लालसोट, जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(नवल किशोर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
दौसा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री नवल किशोर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लोकेश जांगिड़ पुत्र श्री रामजीलाल जांगिड़ हाल टैक्निशियन-द्वितीय (लाईनमैन), कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लालसोट, जिला दौसा के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 248/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

16.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 2775-79 दिनांक 16.09.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-2
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिला जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दौसा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।

16.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।